

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या — 08/2021

राज्य बनाम वाहन ट्रैक्टर संख्या—265-DI के स्वामी एवं अन्य (एक वाहन)

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई¹
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

05/02/2021

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक—2731/अप०शा० दिनांक—21.10.2020 द्वारा रजरप्पा थाना काण्ड संख्या—117/2020, दिनांक—21.09.2020, धारा—379 भा०द०वि० एवं Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rules के नियम 13 झारखण्ड खनिज समुदान नियमावली 2004 की धारा 54 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियोग) अधिनियम—1957 की धारा—21 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर नं० (01) 265-DI (लाल रंग का), जिसका इंजन नं०—NGNL01161, चेचिस नं०—NGNL01161, (02) महिन्द्रा ट्रैक्टर 265-DI (लाल रंग का), जिसका इंजन नं०—RAQO01956, चेचिस नं०—RAQO01956, जिसमें लदा करीब 100—100 सी०एफ०टी० बालू कुल करीब 200 सी०एफ०टी० बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा—21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा—21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court."

उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा—21 (4-A) के तहत राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

1051021

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

1051021

110/प्रिमि
05/02/2021